राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: ftsrslsa@gmail.com website: **www.rlsa.gov.in**)

क्रमांकः—एफ—4(175)/रालसा/एस.एस.(एम. एवं ए)/पैनल/2019/3389 दिनांक:07.02.2019

—:: विज्ञप्ति ::—

राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों एवं मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जोधपुर/जयपुर में मध्यस्थ (mediators) के रूप में सेवाऐं प्रदान करने के लिए सक्षम मध्यस्थगण का एक पैनल वैकल्पिक विवाद निस्तारण हेतु तैयार किया जाना है अतः इसके लिए योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यदि मान्नीय सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण इस पैनल में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वे सीधे अपनी सहमति श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर सकते हैं।

(1) **पात्रताः** इस हेतु निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:

1. सेवानिवृत्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश/ सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश।
2. कम से कम 15 वर्ष वकालत का अनुभव रखने वाले मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय/मान्नीय उच्च न्यायालयों एवं जिला न्यायालय के विद्वान अधिवक्तागण।
3. सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण।
4. कम से कम 15 वर्ष व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अन्य प्रोफेशनल्स् या विशेषज्ञ।
5. वे अधिवक्तागण/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण या अन्य प्रोफेशनल्स जिन्होंने एम.सी.पी.सी., नई दिल्ली के नेतृत्व में चालीस घण्टे का मीडियेशन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(2) **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थानः** पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में जिस जिले में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते है, उस जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में एवं मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच के मीडियेशन सेण्टर हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट www.rlsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(3) **आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजो की स्व—प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनाः** आवेदन पत्र के साथ समस्त योग्यता दस्तावेजात की स्व—प्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावें।

(4) मध्यस्थगण के पैनल तैयार करने एवं उन्हें एम.सी.पी.सी., नई दिल्ली से प्रशिक्षण करवाने के सन्दर्भ में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम निर्णय माना जावेगा।

07/02/19

(5) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथिः जो अभ्यर्थीगण मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करना चाहे वह सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ रालसा, जोधपुर/जयपुर के समक्ष अपना आवेदन–पत्र दिनांक 11.03.2019 को सांय 05:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(6) प्रशिक्षणः उक्त मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के उपरान्त उन्हें एम.सी.पी.सी., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित चालीस घण्टे का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो प्राधिकरण द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार दिया जावेगा। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही उन्हें मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का आदेश देकर प्रकरण रैफर किये जावेगें।

(7) पैनल का चयनः निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन पत्रों की जॉच कर, योग्य एवं अनुभवी आवेदकों के आवेदन–पत्रों को short-list करने का कार्य जिला स्तर पर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जोधपुर/जयपुर के लिए प्राप्त आवेदन–पत्रों बाबत् मान्नीय न्यायाधीश इंचार्ज, मध्यस्थता केन्द्र द्वारा निर्देशित प्रक्रिया अपनायी जावेगी। चयनित अभ्यर्थीयों के आवेदन मय दस्तावेज अनुमोदन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित किये जावेगें।

(8) मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के लिए यथा सम्भव मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये वैकल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के प्रावधानों की पालना की जावेगी। इन नियमों के भाग द्वितीय के नियम–5 के अन्तर्गत अयोग्य व्यक्ति मध्यस्थ बनने के लिए निर्योग्य समझे जावेगें।

(9) मानदेयः मध्यस्थतगण द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने पर उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या प्रचलित नियमों के अनुसार समय समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

07/02/19

सदस्य सचिव,
राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर ।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: ftsrslsa@gmail.com website: **www.rlsa.gov.in**)

सभी जिला मुख्यालयों एवं मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर बैंच में मध्यस्थ पैनल में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन–पत्र

आवेदक अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो यहाँ चिपकाएँ

1. आवेदक का नाम

   हिन्दी में..

   अग्रेंजी में..

2. आवेदक के पिता/पति का नाम..
3. जन्म तिथि (शब्दों व अंको में)..
4. गृह जिला...
5. जिले का नाम, जहाँ अपनी सेवाएं देना चाहते है?...............................
6. स्थायी पता..

   (टेलीफोन/फैक्स...

   नम्बर सहित)..

7. वर्तमान पता...

   (टेलीफोन/फैक्स...

   नम्बर सहित)..

8. मोबाईल नम्बर..
9. ई–मेल एड्रेस..
10. कार्यालय का पता...
11. शैक्षाणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्ड्री, स्नातक एवं तत्पश्चात अर्जित):–

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

12. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख..
13. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)..
14. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)..
15. सेवानिवृत्ति की दिनांक ....

    (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)

16. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी के लिए)..

17. वकालत का अनुभव..

18. अन्य कार्य / व्यवसाय का अनुभव..

क्र.स.	वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

19. वर्तमान कार्य / व्यवसाय (Occupation) का विवरण..

20. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति / पत्नी हैं? हाँ / नहीं

21. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं...पुत्र / पत्नी श्री..घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सहीं व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः....................
स्थानः.......................

नोटः आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षाणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्त आदेश की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न करे। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते है।